

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक: 03 अगस्त, 2018

विषय: माध्यमिक स्तर पर संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन०टी०एस०ई०) छात्रवृत्ति में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस०सी०ई०आर०टी० / 1983 / शो०मू०-06(1) / 2018-19 दिनांक 25.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन०टी०एस०ई०) का संचालन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) में राज्य हेतु निर्धारित कोटे के अन्तर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माना जाता है। एन०सी०ई०आर०टी० की वेबसाईट में एन०टी०एस०ई० की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के बिन्दु संख्या-3.1.4 में यह व्यवस्था है कि "राज्य सरकार एन०टी०एस०ई० परीक्षा हेतु शुल्क निर्धारित कर सकती है।"

3. उत्तराखण्ड राज्य में इस छात्रवृत्ति परीक्षा में अत्यधिक नामांकन होने के कारण आवेदन पत्रों का मुद्रण, प्रश्न पुस्तिकाओं एवं ओ०एम०आर० का मुद्रण किये जाने पर अत्यधिक धनराशि का व्यय हो रहा है। वित्तीय संसाधनों में कमी के कारण इस परीक्षा के निःशुल्क संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः परीक्षा के सफल संचालन हेतु एन०टी०एस०ई० की परीक्षा 2019 के सूचनापत्रक के बिन्दु संख्या-3.1.4 फीस, में उल्लिखित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्पादित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रथम चरण) की परीक्षा में आवेदन हेतु निजी विद्यालय के छात्रों के लिये निम्नवत् शुल्क का निर्धारण किये जाने पर सहमति व्यक्त की जाती है:-

सामान्य/अन्य श्रेणी विद्यार्थी	-	रु० 200/- (रु० दो सौ)
एस०सी०/एस०टी०/दिव्यांग विद्यार्थी	-	रु० 100/- (रु० सौ)

4. राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्त फीस से छूट प्रदान की जाती है तथा ऐसे छात्र-छात्राओं

को आवेदन पत्र का वितरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा यथावश्यकतानुसार किया जायेगा।

5. आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क का उपयोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के संचालन हेतु ही किया जायेगा।

6- आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क से प्राप्त आय-व्यय का विवरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-11(म.)/XVII(3)/2017-18 दिनांक 03.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।


भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव

सं० 698 (i)/XXIV(1)/2018-20/2018/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी-1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3-समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
- 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6-समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
- 8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 9-एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।
- ✓10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  


(दिनेश चन्द्र जोशी)  
उप सचिव